न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—176/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. सोनी सिंह पुत्र श्री राज सिह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजसिह पुत्र श्री दयाल सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. रमनदीप कौर पत्नी राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अमनदीप कौर पुत्री राज सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. सतवीर कौर पुत्री राज सिह पत्नी सन्दीप सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. मन्जू कौर पुत्री राज सिह पत्नी श्री नवजोत सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
7. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कैलाश कुमार सिंवल वकील वादीगण
2— श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग — वकील प्रति सं. 1 ता 5

निर्णय दिनांक :—16.10.2019

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद र्शीषक मे दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 पिता प्रतिवादी संख्या 1 राजसिह के नाम चक नं. 21 एमजेडी के खाता संख्या 22/22 जमाबन्दी सम्वत 2068—71 में 0.126 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 23/21 खाता चणन सिह आदि ज.स. 2068—2071 में 0.253 हैक्ट. व इसी चक के खाता संख्या 32/29 खाता टेक सिह आदि ज.स. 2068—2071 में 1.265 हैक्ट. व इसी चक खाता संख्या 67/54 खाता भूरा सिह आदि ज.स. 2068—71 में 0.442 है. चक 33 एएमपी के खाता संख्या 42/42 खाता तेजसिह आदि ज.स. 2070—73 में 1.933 हैक्टेयर इसी प्रकार चक नं. 33 एएमपी के खताा संख्या 40/40 खाता टेक सिह आदि ज.स. 2070—73 में 0.094 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो प्रतिवादीगण एवं वादी की विरासतन कृषि भूमि है। जमाबन्दी सम्वत वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का पिता है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 राजसिह के नाम से वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि हमारी जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी

संख्या 2 ता 5 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग पूर्व में वादी के पक्ष कर दिया दिया है। अब प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं रखना चाहती है। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक वा हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य घरू बंटवारा हुआ है। घरू बंटवारा में वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि प्राप्त हुई है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 को अन्य चको में कृषि भूमि प्राप्त हुई है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। वादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण वादी के इस न्यायाचित निवेदन पर पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में स्पष्ट् इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना राजीनामा जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने लखविन्द्र कौर पत्नी राजसिह व सुखजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिह का सहमति पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वारिसान तस्दीक में राजसिह का सरपंच ग्राम पचायत सिंहपुरा से प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में चक 33 एएमपी खाता संख्या 37 जमाबन्दी सम्वत 2029–33 की प्रमाणित जमाबन्दी पेश की है तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये हैः–

1. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 22/22 खाता चनन सिह वगेरा प्रदर्श–1
2. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 23/21 खाता चनन सिह वगेरा प्रदर्श–2
3. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 32/29 खाता टेक सिह वगेरा प्रदर्श–3
4. चक 21 एमजेडी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 67/54 खाता भूरा सिह वगेरा प्रदर्श–4
5. चक 33 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 40/40 खाता टेक सिह वगेरा प्रदर्श–5
6. चक 33 एएमपी की जमाबन्दी सम्वत 2029–2031 खाता संख्या 37 खाता लाल सिह वगेरा प्रदर्श–6

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 राजसिह के नाम चक नं. 21 एमजेडी के खाता संख्या 22/22 जमाबन्दी सम्वत 2068–71 में 0.126 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 23/21 खाता चणन सिह आदि ज.स. 2068–2071 में 0.253 हैक्ट. व इसी चक के खाता संख्या 32/29 खाता टेक सिह आदि ज.स. 2068–2071 में 1.265 हैक्ट. व इसी चक खाता संख्या 67/54 खाता भूरा सिह आदि ज.स. 2068–71 में 0.442 है. चक 33 एएमपी के खाता संख्या 42/42 खाता तेजसिह आदि ज.स. 2070–73 में 1.933

हैक्टेयर इसी प्रकार चक नं. 33 एएमपी के खताा संख्या 40/40 खाता टेक सिह आदि ज.स. 2070–73 में 0.094 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में चक 33 एएमपी खाता संख्या 37 जमाबन्दी सम्वत 2029–33 की प्रमाणित जमाबन्दी पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत राजसिह के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। चक 33 एएमपी खाता संख्या 37 जमाबन्दी सम्वत 2029–33 की प्रमाणित जमाबन्दी पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी मे से 2.027 है. आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के राजीनामा मय जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा मय राजीनामा व पैतृक सम्पति साक्ष्य में विरास्तन साक्ष्य में चक 33 एएमपी खाता संख्या 37 जमाबन्दी सम्वत 2029–33 की प्रमाणित प्रति के आधार पर वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा मय सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार आंशिक डिक्री किया जाता है कि :– वादी को चक 33 एएमपी के खाता संख्या 42/42 खाता तेजसिह आदि ज.स. 2070–73 में 1.933 हैक्टेयर व इसी प्रकार चक नं. 33 एएमपी के खताा संख्या 40/40 खाता टेक सिह आदि ज.स. 2070–73 में 0.094 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 राजसिह सिह का उक्त खातो से नाम कलमजन किये जाने आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 68/2019

1 सोनी सिंह पुत्र श्री राज सिह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम

1 राजसिह पुत्र श्री दयाल सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 रमनदीप कौर पत्नी राजेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 अमनदीप कौर पुत्री राज सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4 सतवीर कौर पुत्री राज सिह पत्नी सन्दीप सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5 मन्जू कौर पुत्री राज सिह पत्नी श्री नवजोत सिह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6 तहसीलदार राजस्व संगरिया।
7 तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश कुमार सिवल वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– वादी को चक 33 एएमपी के खाता संख्या 42/42 खाता तेजसिह आदि ज.स. 2070–73 में 1.933 हैक्टेयर व इसी प्रकार चक नं. 33 एएमपी के खताा संख्या 40/40 खाता टेक सिह आदि ज.स. 2070–73 में 0.094 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 राजसिह सिह का उक्त खातो से नाम कलमजन किये जाने आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 15:56:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: